

लद्दाख द्वारा छठी अनुसूची की मांग

प्रलिस के लिये:

संसद, केंद्रशासति प्रदेश (संघ-राज्य क्षेत्र) लद्दाख, संवधान की छठी अनुसूची, स्वायत्त ज़िला परिषदें (ADCs)

मेन्स के लिये:

केंद्रशासति प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के लोगों के लिये "भूमि और रोज़गार की सुरक्षा सुनिश्चित करने" हेतु केंद्रशासति प्रदेश लद्दाख के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।

- समिति के कुछ सदस्यों के अनुसार, गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कि **छठी अनुसूची** में शामिल करने की उनकी मांगों पर विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा।
- सितंबर 2019 में **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात आयोग** ने लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की सिफारिश यह देखते हुए की थी कि निया केंद्रशासति प्रदेश मुख्य रूप से **आदवासी बहुल (97% से अधिक)** था और इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक वरिषत को संरक्षित करने की आवश्यकता थी।

कमेटी का गठन किस कार्य हेतु किया गया है?

पृष्ठभूमि:

- **संसद** द्वारा 2019 में संवधान के **अनुच्छेद 370** के तहत पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किये जाने के बाद लद्दाख में नागरिक समाज समूह **पछिले तीन वर्षों से भूमि, संसाधनों और रोज़गार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।**
- **बड़े व्यवसायों और बड़े समूहों द्वारा स्थानीय लोगों से भूमि एवं नौकरियाँ छीने जाने के भय** ने इस मांग को बढ़ावा दिया है।

उद्देश्य:

- क्षेत्र की **अनूठी संस्कृति और भाषायी भौगोलिक स्थिति तथा सामरिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसकी रक्षा** के उपायों पर चर्चा करना।
- समावेशी विकास की रणनीति बनाना और लेह, कारगल एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी ज़िला परिषदों के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना।

सरकार का रुख:

- जहाँ तक लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है, तो सरकार इसके **लिये बहुत उत्सुक नहीं है।**
 - गृह मंत्रालय ने हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति को सूचित किया कि **छठी अनुसूची के तहत आदवासी आबादी को शामिल करने का उद्देश्य उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना** है, जिसका केंद्र शासति प्रदेश प्रशासन पहले से ही ध्यान रख रहा है और लद्दाख को इसकी समग्र विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन प्रदान किया जा रहा है।
- गृह मंत्रालय के मुताबिक, **लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना मुश्किल होगा।**
 - संवधान की छठी अनुसूची **पूर्वोत्तर के लिये है तथा पाँचवी अनुसूची देश के बाकी हिस्सों के आदवासी क्षेत्रों के लिये है।**
- राज्यसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, **लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में सीधी भरती में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण को**

10% से बढ़ाकर 45% कर दिया है, जिससे जनजातीय आबादी को उनके विकास में काफी मदद मिलेगी।

छठी अनुसूची:

- **अनुच्छेद 244: स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils- ADCs)**, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ वधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है, को **संवधान के अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची के अनुसार बनाया जा सकता है।**
 - छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान हैं।
- **स्वायत्त ज़िले:** इन चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित किया गया है। **राज्यपाल** के पास स्वायत्त ज़िलों के गठन और पुनर्गठन से संबंधित अधिकार हैं।
 - संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त ज़िलों पर लागू नहीं होते हैं अथवा विशिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।
 - इस संबंध में निर्देशन की शक्ति या तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पास होती है।
- **ज़िला परिषद: प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है** और इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
 - निर्वाचित सदस्य **पाँच वर्ष की अवधि** के लिये पद धारण करते हैं (यदि परिषद पहले भंग नहीं हो जाती है) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं।
 - प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है।
- **परिषद की शक्तियाँ: ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रशासन देखती हैं।**
 - वे भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्तिकी वरिसत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज़ों आदि जैसे कुछ विशिष्ट मामलों पर कानून बना सकती हैं। लेकिन ऐसे सभी कानूनों हेतु राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।
 - वे जनजातियों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिये ग्राम सभाओं या न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। वे उनकी अपील सुनती हैं। इन मुकदमों एवं मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
 - ज़िला परिषद ज़िले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाज़ारों, घाटों, मत्स्य पालन, सड़कों आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती हैं।
 - उन्हें भू-राजस्व का आकलन करने और एकत्र करने एवं कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. संवधान के नमिनलखिति प्रावधानों में से कौन से प्रावधान भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पाँचवी अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवी अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और अनविर्य एवं मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। **अतः 1 सही है।**
- ग्यारहवी अनुसूची में पंचायत को प्रदान किये गए 29 कार्य शामिल हैं। सूची की प्रवर्षिटि 17 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा से संबंधित है। बारहवी अनुसूची में नगर निकायों को प्रदान किये गए 18 कार्य शामिल हैं। प्रवर्षिटि 13 में सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देने का प्रावधान है। **अतः 2 सही है।**
- पाँचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम, राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके

किसी हस्से पर ऐसे अपवादों एवं संशोधनों के अधीन लागू नहीं होगा जैसा कविह अधसूचना में नरिदषिट कर सकता है। **अतः 3 सही है।**

- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा, मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधति है। यह ज़िला परषिदों के लयि प्रावधान करती है, जो प्राथमकि वदियालयों की स्थापना, नरिमाण या प्रबंधन कर सकती है। **अतः 4 सही है।**
- सातवी अनुसूची में संघ, राज्य और समवरती सूची शामिल है। इसमें 'शकिषा' से संबंधति प्रावधान है। **अतः 5 सही है।**

अतः वकिल्प (d) सही है।

प्रश्न. भारतीय संवधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लयि नज़ी पारटयिों को आदवासी भूमकि हस्तांतरण को शून्य घोषति कयि जा सकता है? (2019)

- (A) तीसरी अनुसूची
- (B) पाँचवी अनुसूची
- (C) नौवी अनुसूची
- (D) बारहवी अनुसूची

उत्तर: (B)

व्याख्या:

- अनुसूचति क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधति संवधान की पाँचवी और छठी अनुसूची के साथ अनुच्छेद 244 में नहिति प्रावधानों तथा पंचायत (अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार) अधनियिम, 1996 तथा अनुसूचति जनजात एवं अन्य पारंपरकि वन नवासी (वन अधकारों की मान्यता) अधनियिम, 2006 या आदवासियों के हतियों की रक्षा करने वाले कोई अन्य प्रासंगकि वैधानकि अधनियिम के प्रावधानों द्वारा अनुसूचति क्षेत्रों में खनजि रयियायतों के लयि अनुदान नरिदेशति कयि गया है।
- पाँचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल सार्वजनकि अधसूचना द्वारा नरिदेश दे सकता है कसिंसद या राज्य के वधानमंडल का कोई वशिष अधनियिम राज्य में अनुसूचति क्षेत्र या उसके कसिी हस्से पर लागू होगा या नहीं।
- इस प्रकार पाँचवी अनुसूची के तहत खनन के लयि नज़ी पारटयिों को आदवासी भूमकि हस्तांतरण को शून्य घोषति कयि जा सकता है। **अतः वकिल्प (B) सही है।**

प्रश्न. भारत के संवधान में पाँचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध नमिनलखिति में से कसिके लयि कयि गए हैं?

- (a) अनुसूचति जनजातयिों के हतियों के संरक्षण के लयि
- (b) राज्यों के बीच सीमाओं के नरिधारण के लयि
- (c) पंचायतों की शक्तयिों, प्राधकारों और उत्तरदायतित्वों के नरिधारण के लयि
- (d) सभी सीमावरती राज्यों के हतियों के संरक्षण के लयि

उत्तर: (a)

- पाँचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचति क्षेत्रों तथा अनुसूचति जनजातयिों के प्रशासन एवं नरिंतरण का प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम में आदवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधति है। **अतः वकिल्प (a) सही उत्तर है।**

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस